

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2/टंकण परीक्षा/बो-11/2018/206

दिनांक :- 16.01.19

संयुक्त निदेशक

संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, (समस्त)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (समस्त)

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक

**विषय:-** अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.12(2) शिक्षा-2/टंकण परीक्षा/2016 दिनांक 09.01.2019 के क्रम में लेख है कि कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 28.05.2018 द्वारा मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में शिथिलन का अवसर दिये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप माह जून-2018 से नवम्बर-2018 तक तीन वर्ष की सेवा उपरान्त भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के मॉक टंकण टेस्ट आयोजित करवाये गये थे।

कार्यालय हाजा द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम अनुसार उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में बुलाये गये लगभग 1500 कार्मिकों में से लगभग 100 कार्मिक ही मॉक टंकण टेस्ट में उत्तीर्ण हो पाये हैं, जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत के लिहाज से बहुत कम है तथा उक्त कार्मिकों की अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (1) कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 28.05.2018 के अनुसार मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त ऐसे कार्मिक जिन्होंने नियुक्ति के तीन वर्ष उपरान्त टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की ऐसे कार्मिकों को संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व में मॉक टंकण टेस्ट उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे कार्मिकों को प्रशासनिक विभाग में मॉक टंकण टेस्ट हेतु दो अवसर दिये जाने की व्यवस्था किये जाने के प्रावधानानुसार शिक्षा विभाग के ऐसे लगभग समस्त कार्मिकों को एक मॉक टेस्ट का अवसर दिया जा चुका है। अब दिया जाने वाला मॉक टेस्ट का अवसर उक्त समस्त कार्मिकों हेतु अन्तिम (दूसरा) अवसर होगा। यदि उक्त कार्मिक अब दिये जाने वाले अन्तिम अवसर में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लिया जाने वाला आगामी निर्णय उक्त समस्त कार्मिकों के लिए अहितकर हो सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखित किया जाता है कि प्रथम मॉक टेस्ट हेतु प्रशासनिक विभाग में बुलाये गये कार्मिकों में से अधिकांश कार्मिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक वांछित कम्प्यूटर योग्यता (RKCL-RSCIT) धारक नहीं थे, ऐसे कार्मिकों को मॉक टंकण टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः दूसरे मॉक टेस्ट हेतु उन्हीं कार्मिकों को परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावेगा जिनके पास कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र हो। इस हेतु कार्मिकों की कम्प्यूटर योग्यता की जाँच संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, के स्तर पर की जाने के उपरान्त ही मॉक टेस्ट हेतु नाम प्रेषित किया जावे।

16/01/19

(2)

अतः अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों हेतु कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1) कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 28.05.2018 के अनुसार मॉक टेस्ट हेतु दिये जाने वाले दूसरे एवं अन्तिम अवसर का परीक्षा कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जारी किया जावे इससे पूर्व उक्त समस्त कार्मिकों को व्यक्तिशः जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से मॉक टेस्ट हेतु पूर्ण तैयारी तथा वांछित कम्प्युटर योग्यता के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें, ताकि मॉक टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले कार्मिकों का प्रतिशत पूर्व में प्रथम अवसर हेतु उपस्थिति कार्मिकों की भांति दयनीय नहीं हो। साथ ही निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उत्तीर्ण नहीं हो पाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही अथवा उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की विषम परिस्थितियों, जिनमें सेवा से पृथक किया जाना भी हो सकता है, हेतु स्वयं अभ्यर्थी जिम्मेदार होंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

01. शासन उप सचिव (ग्रुप-2) राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्रांक प.12(2)

शिक्षा-2/टंकण परीक्षा/2016 दि. 09.01.2019 के क्रम में।

02. कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेब साईट में अपलोड किए जाने हेतु।

03. रक्षित पत्रावली



(घीसालाल शर्मा)

उप निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर